निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), जयपुर

प्रकरण संख्या **58/2025** (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

जगदीश प्रसाद वर्मा, टीला नं. 7 बी, जवाहर नगर, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, कलक्ट्रेट, जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय **दिनांक 04.09.2025**

1. संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 07.06.2025 को राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एवं व कलेक्टर जयपुर के नाम आवेदन प्रस्तुत कर वार्ड परिसीमन सहित अन्य बिन्दुवार सूचनाएं चाही गई है। नियत समयावधि में चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, कलक्ट्रेट, जयपुर को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी प्राप्त है। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी अनुपस्थित है।
3. राज्य लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी क्रमांक 2390 दिनांक 12.08.2025, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है, के अनुसार वांछित सूचना हेतु कार्यालय के पत्रांक 1826 दिनांक 23.6.2025 से सूचना प्राप्ति हेतु देय शुल्क राशि जमा कराने हेतु अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया था, परंतु अपीलार्थी द्वारा आदिनांक तक शुल्क जमा नहीं कराया गया है। अपीलार्थी द्वारा शुल्क जमा कर सूचना प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। राज्य लोक सूचना अधिकारी स्तर पर सूचना दिए जाने में कोई विलम्ब परिलक्षित नहीं होता है, फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।
5. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
6. निर्णय आज दिनांक **04.09.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।

कलक्टर जयपुर जिला

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner